



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026

चैत्र 20, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ-226010

संख्या यूपीईआरसी/सचिव/एसएसी/2026-38

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य) विनियमावली, 2004 जो अधिसूचना संख्या-3870/यूपीईआरसी/रेगुलेशन-2004 दिनांक 24 अगस्त, 2004 के द्वारा अधिसूचित की गयी थी, की धारा 3 के अधीन निम्न सदस्यों सहित राज्य सलाहकार समिति (एस०एस०सी०) का गठन किया जाता है:-

क्र०सं०	समिति के सदस्य	पद
1	अध्यक्ष, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
2	सदस्य, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
3	सदस्य, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० शासन	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई०आई०डी०, उ०प्र० शासन	सदस्य पदनाम के अनुसार
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम०एस०एम०ई०, उ०प्र० शासन	सदस्य पदनाम के अनुसार
9	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	सदस्य पदनाम के अनुसार
10	एक प्रबन्ध निदेशक राज्य डिस्कम्स (एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, डीवीवीएनएल एवं केस्को) (चक्रानुसार)	सदस्य

क्र०सं०	समिति के सदस्य	पद
11	प्रबन्ध निदेशक, एसटीयू/यूपीपीटीसीएल/यूपीआरवीयूएनएल	सदस्य
12	निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
13	निदेशक, यू०पी०एस०एल०डी०सी०	सदस्य
14	निदेशक, यू०पी० नेडा	सदस्य
15	एक प्रतिनिधि, इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन का जैसे-आईआईए, सीआईआईए, एफआईसीसीआई, एसोचैम, लघु उद्योग भारती (चक्रानुसार)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
16	अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, ए-1391, इन्दिरा नगर, लखनऊ	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
17	एक प्रतिनिधि-मेट्रो रेल/आरआरटीएस/रेलवेज/यूपीएसआरटीसी/शहरी ट्रान्सपोर्ट (चक्रानुसार)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
18	एकेडमिक एण्ड रिसर्च बॉडीज एक प्रतिनिधि-सीईआर-आईआईटीके/आईआईटी-बीएचयू/आईआईटी रुड़की/सीपीआरआई/सीबीआईपी (चक्रानुसार)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
19	एक प्रतिनिधि, प्राईवेट डिस्काम्स से (एनपीसीएल/एनआईडीपी)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
20	एक प्रतिनिधि, निजी उत्पादन कम्पनियों से जो उ०प्र० में स्थित हैं (चक्रानुसार)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से
21	एक प्रतिनिधि, पावर एक्सचेंज से (आईईएक्स/पीएक्सआईएल)/एचपीएक्स (चक्रानुसार)	सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से

उपरोक्त के अतिरिक्त, आयोग बैठक के विचार विमर्श के एजेण्डा बिन्दुओं के आधार पर किसी अन्य अधिकारी/विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञ/व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के लिए सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग संयोजक होंगे। यह आदेश इस आशय से जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे कि यह आदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) के तहत अधिसूचित किये जायेंगे तथा इससे पूर्व जारी हुए राज्य सलाहकार समिति के गठन के आदेश तदनुसार अवक्रमित हो जायेंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव।

U.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
LUCKNOW-226010

No. UPERC/Secy./SAC/2026-38

Dated Lucknow, April 10, 2026

In pursuance to Section 87 of the Electricity Act, 2003 and under Clause 3 of the U.P. Electricity Regulatory Commission (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulation, 2004 notified vide no. 3870/UPERC/Regulation-2004 dated 24th August, 2004, the State Advisory Committee (SAC) is being Constituted with following Members:

Sl. no.	Members of Committee	Designation
1	Chairman, UPERC	<i>Ex-officio</i> Chairman vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003
2	Member, UPERC	<i>Ex-officio</i> Member vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003
3	Member, UPERC	<i>Ex-officio</i> Member vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003
4	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Energy Department, Government of U.P.	<i>Ex-officio</i> Member vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003
5	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Food / Civil Supplies Department, Government of U.P.	<i>Ex-officio</i> Member vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003

Sl. no.	Members of Committee	Designation
6	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Agriculture Department, Government of U.P.	Ex-officio Member vide Section 87(3) of the Electricity Act, 2003
7	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, IID, Government of U.P.	Member by Designation
8	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, (MSME), Government of U.P.	Member by Designation
9	Managing Director, UPPCL	Member by Designation
10	One Managing Director of State Discoms, (MVVNL, PVVNL, PuVVNL, DVVNL and KESCO) (by rotation)	Member
11	Managing Director, STU/ UPPTCL/ UPRVUNL	Member
12	Director, Electrical Safety, U.P. Lucknow	Member
13	Director, UPSLDC	Member
14	Director, U.P. NEDA	Member
15	One representative of Industry Association like IIA, CIIA, FICCI, ASSOCHAM, LAGHU UDYOG Bharti (by rotation)	Member, Through Senior Representative
16	Chairman, U.P. Rajya Vidyut Upbhokta Parishad, A-1391, Indira Nagar, Lucknow	Member, Through Senior Representative
17	One representative of Metro Rail/RRTS/ Railways/UPSRTC/Urban Transport (by rotation)	Member, Through Senior Representative
18	Academic & Research Bodies, One representative of CER- IITK/IIT-BHU/ IIT Roorkee/CPRI/ CBIP (by rotation)	Member, Through Senior Representative
19	One Representative of Private Discoms-(NPCL/ NIDP Developers Pvt. Ltd)	Member, Through Senior Representative
20	One representative from Private Generating Companies located in U.P. (by rotation)	Member, Through Senior Representative
21	One representative from Power Exchange (IEX/ PXIL/ HPX) (by rotation)	Member, Through Senior Representative

In addition to the above, the commission reserves the right to invite any other officers/ power sector experts/persons as a special invitee depending upon the agenda for discussion in the meeting.

Secretary UPERC shall be convenor of meetings for State Advisory Committee. This order shall come into effect from the date of its issuance subject to notification under Section 87 (1) of Electricity Act, 2003 and shall supersede the notifications issued in the past for constitution of State Advisory Committee.

By order of the Commission,
SUMEET KUMAR AGARWAL,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 84 राजपत्र-2026-(177)-588 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० ऊर्जा-2026-(178)-100+50=150 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।